

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 11 नवम्बर 2017

विषय: त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2004/XII/2011/86(10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 से स्वीकृत मानदेय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय में आंशिक वृद्धि करते हुए निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित विवरणानुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन मानदेय स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	प्रतिनिधि	वर्तमान में देय मानदेय (प्रतिमाह)	वृद्धि उपरांत स्वीकृत मानदेय (प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	प्रधान, ग्राम पंचायत	750.00	1,500.00
2	उपप्रधान, ग्राम पंचायत	350.00	500.00
3	अध्यक्ष, जिला पंचायत	5,000.00	10,000.00
4	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	2,000.00	5,000.00
5	सदस्य, जिला पंचायत	400.00 (प्रति बैठक)	1,000.00 (प्रति बैठक)
6	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	4,000.00	6,000.00
7	उपप्रमुख (कनिष्ठ/ज्येष्ठ)	625.00	1,500.00
8	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	300.00 (प्रति बैठक)	500.00 (प्रति बैठक)

2- वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधियों को दिये जा रहे मानदेय पर होने वाले व्यय का वहन पंचायतों को संकमित की जा रही राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि का वहन भी राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को संकमित की जा रही धनराशि से ही किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-109/XXVII-4/2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

कृ०पृ०-02

संख्या : 3062 (1)/XII(1)/2017-86(10)/2005 तद दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/ XIV/ XXI/ 2017-सी0एक्स0 दिनांक 28.09.2017 के क्रम में।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-4/7, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को 100 प्रतियों में गजट के प्रकाशनार्थ संलग्नक सहित प्रेषित।
13. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल

संलग्नक: यथोपरि।

आज्ञा से,



(जी0एन0पन्त)

उप सचिव।

↓